उत्तर प्रदेश शासन

उपभोक्ता संरक्षण एवं बांट माप अनुभाग-2

संख्या- 64/सीपी 693/84-2-2014-सीपी 7/2013

लखनऊ : दिनांक : 08 अगस्त ,2014

<u>कार्यालय ज्ञाप</u>

श्री शुभेन्द्र कुमार पुत्र स्व0 श्री हरीश चन्द्र सक्सेना, जिला जज (सेवानिवृत्त), 153, सी-1, इन्दिरा नगर, कल्याणपुर, कानपुर नगर की नियुक्ति शासन की अधिसूचना संख्या-57/सीपी 197/84-2-2014-सीपी 7/2013, दिनांक 03 मार्च, 2014 द्वारा जिला उपभोक्ता फोरम, अमेठी में अध्यक्ष (पूर्णकालिक) पद पर की गयी थी। श्री शुभेन्द्र कुमार द्वारा अपने पद पर दिनांक 04.03.2014 के अपरान्ह में कार्यभार भी ग्रहण कर लिया गया था।

2. निबन्धक, राज्य उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग, उ0प्र0 के पत्र संख्या-1475/एससीडीआरसी/अधि/10/14, दिनांक 08 जुलाई, 2014 द्वारा श्री शुभेन्द्र कुमार, अध्यक्ष जिला उपभोक्ता फोरम, अमेठी के पत्र दिनांक 02 जुलाई, 2014 की मूल प्रति उपलब्ध कराते हुए अवगत कराया गया है कि श्री शुभेन्द्र कुमार द्वारा स्वास्थ्य कारणों से त्यागपत्र प्रस्तुत किया गया है। निबन्धक, राज्य आयोग द्वारा श्री शुभेन्द्र कुमार, अध्यक्ष, जिला उपभोक्ता फोरम, अमेठी का त्यागपत्र दिनांक 02 जुलाई, 2014 से स्वीकार करने का अनुरोध किया गया है।

3. अतः निबन्धक, राज्य उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग, उ0प्र0 के अनुरोध के दृष्टिगत सम्यक विचारोपरान्त जिला उपभोक्ता फोरम, अमेठी के अध्यक्ष (पूर्णकालिक) के पद से श्री शुभेन्द्र कुमार द्वारा स्वेच्छा से दिये गये त्यागपत्र को दिनांक 02 जुलाई, 2014 की पूर्वान्ह से स्वीकार करने की श्री राज्यपाल एतद्द्वारा सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं।

बी0 एम0 मीना

प्रमुख सचिव।

<u>पृष्ठांकन संख्या-64/सीपी 693(1)/84-2-2014, तददिनांक</u>

प्रतिलिपि - निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

(1) निबन्धक, राज्य उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग, उ0प्र0, सी-1, विक्रान्तखण्ड-1, गोमतीनगर, लखनऊ ।

(2) जिलाधिकारी, अमेठी ।

(3) कोषाधिकारी, अमेठी ।

(4) कार्यालय, जिला उपभोक्ता फोरम, अमेठी (द्वारा निबन्धक, राज्य आयोग)।

(5) श्री शुभेन्द्र कुमार पुत्र स्व0 श्री हरीश चन्द्र सक्सेना, जिला जज (सेवानिवृत्त), 153, सी-1, इन्दिरा नगर, कल्याणपुर, कानपुर नगर ।

आज्ञा से,

(हरिश्चन्द्र)

अनु सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in